भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3429

(16 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनआरएलएम का कार्यान्वयन

3429. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को ग्रामीण लोगों की पारिवारिक आय में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 2021 तक बकाया ऋण और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का अनुपात क्या है;

(घ) गरीब ग्रामीणों की सहायता करने और इस योजना के तहत उन्हें ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को निर्देश देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान, इस मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋणों के संबंध में बैंकों द्वारा सूचित एनपीए का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को वर्ष 2011 से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है**,** जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना तथा आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए उनका तब तक निरंतर मार्गदर्शन करना और सहायता प्रदान करना है जब तक वे अपने जीवन-स्तर में सुधार लाने और गरीबी के दुष्चक्र से निजात पाने के लिए निश्चित समयावधि में अपनी आय में सराहनीय वृद्धि नहीं कर लेती हैं। इस

कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार (लगभग 9 करोड़) से कम-से-कम एक महिला सदस्य को एक निश्चित समय-सीमा में महिलाओं के एसएचजी और उनके संघों में शामिल किया जाए।

(ख): 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएम को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में 691 जिलों के 6360 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल 7.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 66.65 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है और आगे 3.87 लाख ग्राम संगठनों (वीओ) तथा 33,587 क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संघबद्ध किया गया है। एसएचजी सदस्यों को क्रेडिट देने के लिए एसएचजी और उनके संघों को पूंजी प्रदान कर सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2013-14 से महिला एसएचजी ने आय सर्जक कार्यकलाप शुरू करने के लिए संयुक्त रूप से बैंकों से 3.56 लाख करोड़ रु. की क्रेडिट प्राप्त की है।

इस मिशन को एसएचजी की एजेंसियों के माध्यम से अंतिम छोर तक क्रेडिट सेवाएं पहुंचाने में सुधार लाने में महत्वपूर्ण सफलता भी मिली है। जमा, क्रेडिट, प्रेषण, पेंशनों और छात्रवृत्तियों का संवितरण, मनरेगा मजदूरियों का भुगतान तथा बीमा और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण सहित अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 21790 एसएचजी सदस्यों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बीसीए) के रूप में तैनात किया गया है, जिन्हें बीसी सखी के नाम से भी जाना जाता है।

यह मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत उप-मिशन के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्मिता कार्यक्रम (एसवीईपी) भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर लघु उद्यम लगाने के लिए ग्रामीण गरीब एसएचजी की सहायता करना है। उद्यमों के लिए व्यापार सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के अलावा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति-उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) का एक संवर्ग भी तैयार किया जाता है। 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश के 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 182 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 137 ब्लॉकों में उद्यम लगाने का काम शुरू हो गया है और अब तक 1,34,229 उद्यम लगाए जा चुके हैं।

सुदुर ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए स्वच्छ, किफायती और समुदाय की निगरानी वाली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीएवाई-एनआरएलएम के एक उप-घटक के रूप

में अगस्त, 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्प्रेस योजना (एजीईवाई) शुरू की गई। 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, इस योजना को 26 राज्य कार्यान्वित कर रहे हैं जिसमें 191 जिलें शामिल किए गए हैं और 357 ब्लॉकों में 1604 वाहन चल रहे हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डीएवाई-एनआरएलएम के एक उप-घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) कार्यान्वित कर रहा है। एमकेएसपी के अंतर्गत दो क्षेत्रों - स्थायी कृषि और गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) कार्यकलापों में कार्य किए जाते हैं। दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक कार्यनीतिक कार्यकलाप के रूप में पशुधन कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। 31 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत कुल 1.11 करोड़ महिला किसानों को सहायता दी गई है जिसमें से 38.29 लाख महिला किसानों को एमकेएसपी में शामिल किया गया है। लगभग 11.50 लाख महिला किसानों को 1.04 लाख उत्पादक समूहों (पीजी) में संगठित किया गया है।

डीएवाई-एनआरएलएम में मार्किट लिंकेज बढ़ाने के लिए मूल्य श्रृंखला विकास कार्यकलाप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसका उद्देश्य उत्पादकों का संगठन बनाने से लेकर मार्किटिंग लिंकेज तैयार करने तक प्राथमिक उत्पादकों को प्रारंभ से अंत तक समाधान उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण बिजनेस मॉडल तैयार करना है।

(ग) बकाया ऋण की गणना प्रत्येक महीने के अंत में की जाती है। बैंकों द्वारा 10.03.2021 तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर एसएसजी के पास बकाया ऋण 1,17,416.28 करोड़ रूपए है।

(घ) महिला एसएसजी को बैंकों से ऋण दिलाने में सहायता करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं-

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रति वर्ष डीएवाई-एनआरएलएम के लिए मास्टर सर्कुलर जारी करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर काम करता है। यह मास्टर सर्कुलर डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला एसएसजी को क्रेडिट देने हेतु बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराता है।

(ii) सभी राज्यों और बैंकों के लिए एसएसजी क्रेडिट लिंकेज लक्ष्यों का आवंटन।

(iii) एसएसजी के क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा करने तथा वास्तविक चुनौतियों को दूर करने के लिए सभी राज्यों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें/कार्यशालाएं।

(iv) बैंक सखियों के माध्यम से एसएसजी ऋण आवेदन तैयार करने के लिए सहायता देना। एसएसजी द्वारा ऋण आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के प्रावधान भी लागू किए गए हैं।

(v) एसएसजी बैंक लिंकेज के संबंध में ग्रामीण बैंक शाखाओं के कर्मचारियों को जागरूक बनाना और प्रशिक्षित करना।

(ड.) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्व-सहायता समूहों का ऋण से संबंधित एनपीए 2.38 प्रतिशत था जबकि 31 मार्च, 2019 को यह 2.17 प्रतिशत था। 28 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियां (एनपीए) घट कर 1.92 प्रतिशत हो गई हैं।

******